

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 38 /2020


दिनांक : 15.02.2020

श्रीमती अनिशा शर्मा (RJ1143), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (दक्षिण), अजमेर को दिनांक 17.02.2020 से 07.03.2020 तक 20 दिनों संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 16.02.2020 एवं 08.03.2020 से 10.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती देवांगिनी औदित्य (RJ0895), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर जिला, अजमेर को श्रीमती अनिशा शर्मा के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (दक्षिण), अजमेर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
- (2) श्रीमती देवांगिनी औदित्य (RJ0895), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (दक्षिण), अजमेर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से

 14.2.2020


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

दिनांक 15.02.2020

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/08/2017/ 1166

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर को उनके पत्रांक 4233 दिनांक 10.02.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनिशा शर्मा (RJ1143), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (दक्षिण), अजमेर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर (दक्षिण), अजमेर।
5. श्रीमती देवांगिनी औदित्य (RJ0895), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर जिला, अजमेर।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर जिला, अजमेर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

 15.2.2020

सहायक रजिस्ट्रार